प्रेस नोट ***26/12/2025***

थाना घोसी पुलिस द्वारा 03 नफर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन में वांछित/संदिग्ध व्यक्ति/जिला बदर तथा इनामिया अपराधियो, व जनपद में हो रही चोरी, लूट से सम्बन्धित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक घोसी श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र मे उ0नि0 अविनाश कुमार यादव मय हमराह थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर असना नहर पुलिया के पास से मु0अ0सं0 251/2023 धारा 379 भादवि में रोहित कुमार भारती पुत्र बब्बन निवासी गोबिन्दपुर दुगौली थाना भीमपुरा जनपद बलिया, शुभम कुमार पुत्र श्यामबिहारी निवासी चैनपुर गुलौरा थाना उभाँव जनपद बलिया, भोला उर्फ संजीत कुमार मोहन कन्नौजिया चैनपुर गुलौरा थाना उभाँव जनपद बलिया। अभियुक्तगण के पास से हीरो स्पलेंडर प्लस गाड़ी जिसका नम्बर UP60AS0219 है, के बारे मे पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि साहब 2023 में 23 नवंम्बर को हलधरपुर थाने के पास से एक शादी में चुराये थे और जान बूझकर यह फर्जी नम्बर प्लेट बनाकर अपने चोरी की मोटर साइकिल मे लगाकर चलाते थे जिससे की पुलिस हम लोगों को पकड न सके , इस मोटरसायकिल का असली नम्बर UP54AP0814 है। इस मोटरसायकिल के सम्बन्ध में थाना हलधरपुर वार्ता करने पर बताया गया कि इस सम्बन्ध मे उनके थाने पर 251/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत हुआ है। अभियुक्तों द्वारा किया गया यह कार्य अन्तर्गत धारा 317(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3) बी.एन.एस. मे आता है अभियुक्तगण को दिनांक 26.12.2025 को हिरासत पुलिस व बरामद शुदा मोटर साइकिल को कब्जा पुलिस लिया गया। पूर्व के मुकदमे में 411 भादवि की बढोत्तरी कर तथा थाना घोसी में मु0अ0सं0 616/25 धारा 317(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3) बी.एन.एस. पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. रोहित कुमार भारती पुत्र बब्बन निवासी गोबिन्दपुर दुगौली थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 23 वर्ष
2. शुभम कुमार पुत्र श्यामबिहारी निवासी चैनपुर गुलौरा थाना उभाँव जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष
3. भोला उर्फ संजीत कुमार मोहन कन्नौजिया चैनपुर गुलौरा थाना उभाँव जनपद बलिया उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत तथा अनवारणित अभियोग

1. पंजीकृत मु0अ0सं0 616/25 धारा 317(2), 318(4), 319(2), 338, 336(3) बी.एन.एस. थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 251/23 धारा 379 भादवि थाना हलधरपुर जनपद मऊ

बरामदगी विवरण

1. एक अदद चोरी की हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल जिसका फर्जी नं0 UP60AS0219 व असली नम्बर जो UP54AP0814 है

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 अविनाश कुमार यादव
3. उ0नि0 लालमोहन शास्त्री
4. का0 दिग्विजय
5. का0 धर्मपाल भारती
6. का0 डब्लू सिंह
7. का0 विराट पटेल
8. का0 दिनेश कुमार यादव
9. का0 अमित कुमार

शादी का झांसा देकर नाबालिंग लड़की को लेकर भागने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 25.12.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कोरौली पेट्रोल पम्प के पास से मु0अ0सं0 274/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र श्रीपति प्रसाद निवासी कोरौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1- संतोष पुत्र श्रीपति प्रसाद निवासी कोरौली थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1- उ0नि0 नवीन कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2- का0 रामजनम पाल थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3- श्रवण तिवारी थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

अवैध 31 अदद तनुकृत आइकॉनिक वाइट ब्रांड, विभिन्न ब्रांड के 101 बॉटल, 564 अध्धा, 1679 पउवा, 725 बीयर क्रेन के साथ दो शराब तस्कर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.12.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भुजही मोड़ के पास से अवैध शराब तस्कर प्रदीप कुमार पुत्र उमाशंकर निवासी मुहम्मदाबाद, देवशरण प्रसाद पुत्र स्व0 मुंशीराम निवासी मालव थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से अवैध 27 अदद तनुकृत आइकॉनिक वाइट ब्रांड 375 एमएल, 04 अदद तनुकृत आइकॉनिक वाइट ब्रांड 180 एमएल, विभिन्न ब्रांड के 101 बॉटल 750 एमएल, विभिन्न ब्रांड के 564 अध्धा 375 एमएल, , विभिन्न ब्रांड के 1679 पउवा180 एमएल, विभिन्न ब्रांड के 725 बीयर क्रेन 500 एमएल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध थाना मुहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 474/2025 धारा 274, 318(4), 319(2), बीएनएस, 60/72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1- प्रदीप कुमार पुत्र उमाशंकर निवासी मुहम्मदाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

2- देवशरण प्रसाद पुत्र स्व0 मुंशीराम निवासी मालव थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

बरामदगी–

1- 27 अदद तनुकृत आइकॉनिक वाइट ब्रांड 375 एमएल
2- 04 अदद तनुकृत आइकॉनिक वाइट ब्रांड 180 एमएल
3- विभिन्न ब्रांड के 101 बॉटल 750 एमएल
4- विभिन्न ब्रांड के 564 अध्धा 375 एमएल
5- विभिन्न ब्रांड के 1679 पउवा180 एमएल
6- विभिन्न ब्रांड के 725 बीयर क्रेन 500 एमएल।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1- आबकारी निरीक्षक श्री बजरंगी।
2- प्र0आ0 संजय कुमार यादव।
3- आ0स0 संदीप गोंड।